(147)

(254)

समक्ष राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

निगरानी क्र.   /2011–12

1. बंशगोपाल पटेल तनय जगदीश प्रसाद पटेल निवासी ग्राम रमपुर्वा, तहसील मनगवॉ जिला रीवा म. प्र. .... **पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम्

R 1188-II/12

1. मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर रीवा .... **गैरपुनरीक्षणकार्ता**

अधिवक्ता श्री शिवदासवर्मा. द्वारा प्रस्तुत। रीवा. दिनांक 24.4.2012 24.4.12

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री चन्द्रशेखर नीलकण्ठ, अपर कलेक्टर रीवा दिनांक 29.02.2012 जरिए पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 419 अ 74 (निग)/2010–11 बावत अतिक्रमण भूमि ख. क्र. 615/1.02 ए., ग्राम गुढ़वा तहसील मनगवॉ जिला रीवा पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता वर्ष 1959।

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का **शारांस** यह है कि ग्राम गुढ़वा की भूमि खसरा नं. 615 रकवा 1.02 ए., 628 रकवा 1.37 ए. म. प्र. शासन की भूमि है, जिससे लगी उत्तर तरफ आवेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा क्र. 279 स्थित है। शासन म. प्र. की भूमि खसरा क्र. 615 से लगी सीमा से लगी उत्तर तरफ ख. क्र. 279 स्थित ग्राम रमपुर्वा की सीमा लगती है। खसरा क्र. 615 के अंश रकवा 8 X 15= 120 वर्गफिट पर निर्मित दुर्गा एवं शंकर जी का मन्दिर है। उसी मन्दिर की भूमि को अतिक्रमण मानकर धारा 248 म. प्र. भू. रा. संहिता के अन्तर्गत बेदखली की नोटिश पुनरीक्षण कर्ता को भेजी गई है। जिसका प्रत्युतर प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा यह कथन पेश किया गया कि उसके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रस्तुत जबाव एवं पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार मनगवां द्वारा यह तजबीज दी गई कि अतिक्रमण सम्बन्धी जो आदेश पारित किया गया है, उसमें अतिक्रमण के रकवा का कोई उल्लेख नहीं है, इससे अतिक्रमण सम्बन्धी आदेश सही नहीं है तथा बिना सीमांकन के

(147)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 1188–दो / 2012 जिला–रीवा

वंशगोपाल पटेल / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 419/अ–74(निग0)/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	